UPSI180000162008

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- रोहित पुरी (उ०प्र० न्यायिक सेवा)-UP3474

फौजदारी वाद संख्या-113/ 2008

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

बनाम

1. रामू पुत्र रघुनन्दन चौहान,
2. कन्धई पुत्र रघुनन्दन चौहान (मृतक दौरान मुकदमा)
3. नन्हकन्ने उर्फ रामसजीवन (मृतक दौरान मुकदमा)

सर्व निवासीगण ग्राम भरौंचा, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर।

4. करमू पुत्र सिपाही लाल

निवासी ग्राम भीखमपुर, थाना भेरपुर खाला, जिला बाराबंकी।

.....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या-189/ 2007
धारा-323,325,504 भा0दं0सं0,
थाना-रामपुर मथुरा, जिला-सीतापुर।

निर्णय

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्तगण रामू व करमू मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते हा०मु० नियत है। पुलिस थाना रामपुर मथुरा द्वारा अभियुक्तगण **रामू, कन्धई, नन्हकन्ने एवं करमू** के विरुद्ध अपराध संख्या-189/ 2007, धारा-323,325,504 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत विचारण हेतु आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी सुरेश द्वारा थाने पर इस आशय की जुबानी सूचना दी गयी कि, "दिनांक-25.07.2007 को विपक्षी रामू पुत्र रघुनन्दन चौहान जो मेरे सगे पट्टीदार हैं, अपने जानवर लेकर मेरे बंगले के बगल से पतली रास्ते से निकाल रहे थे कि रामू के जानवरों द्वारा प्रार्थी के बंगले को बेझ दिया गया, जिस पर प्रार्थी ने ऐतराज किया, तभी रामू मुझे गालियाँ देने लगे। जब मैंने गाली का विरोध किया कि तब रामू, कन्धई व नन्हकन्ने तथा करमू अपने हाथों में लाठियाँ लेकर आये और मुझे लाठियों से पीटने लगे। मेरे चिल्लाने पर मेरा सगा भाई सुभाष व मामा राम नरेश जो मेरे यहाँ मेहमानी में आये थे, दौड़कर मुझे बचाने आये तो उपरोक्त चारों व्यक्तियों ने उन्हें भी लाठियों से पीटा। हम लोगों को चीखने पर मेरे पिता अवधराम एवं माता बाठो तथा गाँव के ही पुत्ती व लल्लन तथा अन्य तमाम लोग दौड़कर आये, जिन्होंने इन लोगों को बचाया है। राम नरेश के तो बाँये हाथ की कलाई टूट गयी तथा हम दोनों के शरीर में काफी चोटें आयी।"

3. अभियुक्तगण **राजू एवं करमू** की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर स्वेच्छया जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमें के निस्तारण की याचना की गयी है।

4. अभियुक्तगण का बयान मुल्जिम अंकित किया गया जिसमें उन्होंने घटना को स्वीकार किया तथा अपराध अपनी मर्जी से स्वीकार करना कहा।

5. अभियुक्तगण द्वारा जुर्म इकबाल बयान के आधार पर उनके विरुद्ध धारा-323,325,504 भारतीय दंड संहिता का आरोप साबित है। अतः अभियुक्तगण जुर्म इकबाल बयान के आधार पर दोषसिद्ध किये

Digitally signed by Rohit Puri
Date: 2026.07.13 17:27:32 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.

जाने योग्य हैं। अभियुक्तगण को धारा-323,325,504 भारतीय दंड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

लंच पश्चात् पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं। वे घर के अकेले कमाने वाले हैं। अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का कथन किया गया है।

अभियुक्तगण की ओर से व्यक्तिगत रूप से कथन किया गया कि वे अपने घर के अकेले कमाने वाले सदस्य हैं एवं वे गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं और उन्हें न्यायालय द्वारा कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाए।

उक्त पत्रावली वर्ष 2008 से न्यायालय के समक्ष लम्बित है। अभियुक्तगण अत्यन्त गरीब व्यक्ति हैं तथा वे गरीब मजदूरी पेशा हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्तगण को निम्न दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **रामू एवं करमू** प्रत्येक को अपराध संख्या-189/2007, धारा-323,325,504 भारतीय दंड संहिता थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के अपराध में दोषी पाते हुए प्रस्तुत मामले की धारा-323 भारतीय दंड संहिता में रु० 400/-(चार सौ रुपये), धारा-325 भारतीय दंड संहिता में रु० 1200/-(एक हजार दो रुपये) एवं न्यायालय के उठने तक की सजा तथा धारा-504 भारतीय दंड संहिता में रु० 400/-(चार सौ रुपये), **कुल रु० 2000/-(दो हजार रुपये)** के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड अदा न किये जाने पर उन्हें 20 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दिनांक-13.07.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक-13.07.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474